



# म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(म.प्र. शासन के पूर्ण स्वामित्व में) CIN : U40109MP2001SGC014880

ब्लॉक नं. 02, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर (म.प्र.) 482008

Tel.:(0761)2702036,2702041,FaxNo.:(0761)2664450 ,e-mail:ce.ca@mptransco.ltd.in



क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/चार/उवेमा/पैनल-212/


355 दिनांक 13 JAN 2021

## आदेश

मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी आदेश क्रमांक AS/MPPTCL/II/3721-22 दिनांक 30.12.2015 एवं इस संबंध में जारी किए गए अन्य आदेशों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार स्टेटिक केंडर के अंतर्गत कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारियों को 30 वर्षीय तृतीय विकल्प नियम के तहत समयमान वेतनमान (उच्च वेतनमान) वेतन संवर्ग ई-4, वेतन बैंड-एक में रु. 5200-20200/- + ग्रेड वेतन रु. 2500/-, पुनरीक्षित-7वें वेतनमान में वेतन रु. 23200-73700/- का लाभ उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तिथि से उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि इस तिथि पर उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं थी एवं वे दण्डावधि में नहीं थे:-

क्र.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती)	पद	कर्मचारी संख्या	कार्यालय का नाम	उच्च वेतनमान स्वीकृति तिथि
1	2	3	4	5	6
1	परमानन्द कुशवाह	भृत्य	89394355	अधीक्षण अभियंता (परीक्षण एवं संचार), ग्वालियर	06.12.2020
2	वेरोनिका गुडे	फर्राश	91579191	कर्मशाला संभाग, सीहोर	19.11.2020

आदेशानुसार

  
मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.)

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/चार/उवेमा/पैनल-212/ 356

दिनांक 13 JAN 2021

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता (अउदा-निर्माण)/ (परीक्षण एवं संचार), म.प्र.पावर ट्रांस. कं.लि., जबलपुर।
2. अधीक्षण अभियंता (अउदा-निर्माण)/ (परीक्षण एवं संचार), वृत्त, म.प्र.पावर ट्रांस. कं.लि., भोपाल/ग्वालियर।
3. कार्यपाल यंत्री (कर्मशाला) संभाग, म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कं.लि., सीहोर।


क्रमश:-2..



4. वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी, एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमि., जबलपुर।
5. क्षेत्रीय लेखा कार्यालय, म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कं.लि., भोपाल।
- ✓ 6. बेब मास्टर, म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कं.लि., जबलपुर।
7. ईआरपी एडमिनिसट्रेटर, आईटी- ईआरपी सेल, म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कं.लि., जबलपुर।
8. श्री/श्रीमती.....द्वारा मुख्य अभियंता (अउदा-निर्माण)/  
(परीक्षण एवं संचार), म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कं.लि., जबलपुर।
9. आदेश नस्ती।  
-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

**आदेश अग्रेषित करने वाले अधिकारी के लिए टीप**

- (1) कर्मचारी को, समयमान वेतनमान (उच्च वेतनमान) के स्वीकृति की तिथि पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं थी एवं दण्डावधि में न होना सुनिश्चित होने पर ही आदेश अग्रेषित किया जावे अन्यथा की स्थिति में आदेश टीप के साथ इस कार्यालय को लौटा दिया जावे।
- (2) उपरोक्त कर्मचारी के अन्यत्र स्थानांतरित होने की स्थिति में इस आदेश को इस कार्यालय को वापस न कर उनके संबंधित कार्यालय प्रमुख को उन्हें अग्रेषित करने हेतु प्रेषित करें।



अति. मुख्य अभियंता  
कार्या.-मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.)